जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 234 वीं बैठक दिनांक 01.03.2016 को साय 4.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री पवन अरोडा, सचिव, जविप्रा, जयपुर
2. श्रीमति लंवग शर्मा, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर
3. श्री एम.एस. रत्नु , अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम एव भूमि), जविप्रा, जयपुर
4. श्री नीरज तिवाड़ी, सदस्य सचिव, भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे :

1. श्री बी.डी जाट, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान)
2. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, वरिष्ठ नगर नियोजक, (बीपीसी ले आउट प्लान)
3. श्री नवल किशोर बैरवा — उपायुक्त जोन –2
4. श्री सुभाष महरिया — उपायुक्त जोन –4
5. श्री सुखवीर सैनी — उपायुक्त जोन– 5 व जोन –7
6. श्री धर्मपाल सिंह — उपायुक्त जोन –14
7. श्री राजकुमार सिंह — उपायुक्त जोन –16 ,17
8. श्री सुरेश चन्द्र शर्मा — तहसीलदार जोन –9
9. सहायक नगर नियोजक, जोन–2, 7, 9, 16, 17

<u>एजेण्डा संख्या:–1</u>

234 / 01.03.2015

विषय:–बीपीसी (एलपी) की बैठक संख्या 233 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि हेतु।

समिति द्वारा कार्यवाही विवरण की पुष्ठि की गई।

<u>एजेण्डा संख्या:–2 (जोन–2)</u>

234 / 01.03.2015

विषय:– गुलाबबाडी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना मल्होत्रा नगर के संबंध में ।

समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा से योजना में किये गये बदलावों की वास्तविक स्थिती स्पष्ठ नहीं होती है तथा यह भी स्पष्ठ नही होता है कि 1999 की स्थिती बहाल करने पर कितने पट्टे निरस्त करने होंगे। अतः योजना के मूल मानचित्र पर 1999 के मानचित्र की स्थिती, संशोधित मानचित्र (जिसमें भूखण्डों की संख्या बढ़ाई गई है) की स्थिती व मौका स्थिती को सुपर इम्पोज कर बीपीसी (एल पी) के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। शिकायतकर्त्ताओ की उपायुक्त द्वारा सुनवाई की जावें एवम पूर्ण स्थिती के तथ्य बीपीसी (एल पी) के समक्ष प्रस्तुत किये जावें।

एजेण्डा संख्याः–3 (जोन–8)

234 / 01.03.2015

विषयः— निजी खातेदारी आवासीय फ्लेट्स एकल पट्टा खसरा नम्बर 138 / 2, 467 / 138 ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई के उपविभाजन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रस्तावित उपविभाजन अनुमोदन का निर्णय लिया गया । प्रकरण में आवेदक को पट्टे के साथ जारी मूल साइट प्लान के सैटबैक नियमानुसार यथावत रखे जावे, साथ ही भविष्य में सैट बैकस में कोई भी परिवर्तन मान्य नहीं किया जावेगा।

एजेण्डा संख्याः–4 (जोन–9)

234 / 01.03.2015

विषयः— ग्राम दांतली तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 953 रकबा 0.80 हैक्टे. में से 0.105 हैक्टे. खसरा नम्बर 954 रकबा 0.02 हैक्टे. खसरा नम्बर 955 रकबा 0.48 हैक्टे. खसरा नम्बर 956 रकबा 0.36 हैक्टे. में से 0.22 हैक्टे. कुल क्षेत्रफल 8250.00 वर्ग मीटर भूमि का एकल पट्टा (संस्थानिक स्कूल) हेतु मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। प्रकरण में उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा के अनुसार सैक्टर सडक में आयी भूमि क्षेत्र को आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित किया जाना है किन्तु आवेदक द्वारा दिनांक 8.4.2011 को 90 बी का आदेश जारी होने के बाद में सैक्टर सडक से प्रभावित भूमि का समर्पण कर विकसित भूमि प्राप्त की गई है। अतः सर्वप्रथम आवेदक से विकसित भूमि के जविप्रा द्वारा जारी समस्त मूल दस्तावेज (यथा आरक्षण पत्र, पट्टे व साइट प्लान) समर्पित करवाया जावें।

एजेण्डा संख्याः–5 (जोन–9)

234 / 01.03.2015

विषयः— शिव शंकर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना स्वरूप विहार में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि का पार्क हेतु एण्डयूज निर्धारण बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम मौके पर भूमि का कब्जा लेकर जविप्रा सम्पत्ति के बोर्ड लगावाया जावें।

एजेण्डा संख्याः–6 (जोन–9)

234 / 01.03.2015

विषयः— निजी खातेदारी योजना शिव नगर विस्तार के सुविधा क्षेत्र 5579.39 वर्ग गज का स्कूल हेतु एण्डयूज निर्धारण बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्ताव अनुसार सुविधा क्षेत्र का अंतिम उपयोग End Use स्कूल हेतु निर्धारित किया गया।

एजेण्डा संख्याः–7 (जोन–8 / मास्टर प्लान)

234 / 01.03.2015

विषयः– सेक्टर प्लान संख्या 38 से 42 में खसरा नम्बर 413, 414, 420, 421, 422 में से प्रस्तावित 18.0 मीटर सेक्टर के अलाईनमेंट में संशोधन बाबत्।

सेक्टर सडक के अलाईन्मेंट में संशोधन हेतु बीपीसी (एल पी) की 232 बैठक दिनांक 10.12.15 में लिये निर्णय अनुसार आम जनता से आपत्ति / सुझाव प्राप्त करने हेतु 30 दिवस की अवधि के लिये विज्ञप्ति जारी की गई। उक्त विज्ञप्ति के कम में कोई आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं हुआ अतः समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श करते हुए उक्त सेक्टर रोड के अलाईन्मेंट में संशोधन को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–1 (जोन–5)

234 / 01.03.2015

विषयः– जविप्रा द्वारा अनुमोदित योजना किशन नगर की सुविधा क्षेत्र की भूमि का अन्तिम उपयोग राज्य सरकार के पत्र कमांक प–3 (77) नविवि / 3 / 2010 पार्ट– चतुर्थ दिनांक 10.7.2015 के अनुरूप निर्धारण के सन्दर्भ में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि मौके पर भूमि की पूर्ण स्थिती के विवरण व फोटोग्राफ के साथ प्रकरण पत्रावली पर प्रस्तुत किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–2 (जोन–7)

234 / 01.03.2015

विषयः– अपराजिता उज्जवल के प्रार्थना पत्र एवं डीटीएस कमांक 28097 दिनांक 03.072015 के कम में योजना ऑफीसर्स कैम्पस विस्तार के भू.स. 312 से 317 एवं योजना लॉयन्स लेन के भूखण्ड संख्या 01 के सामने दर्शित 40 फीट रोड की चौडाई को पुर्नविचार कर संशोधित करने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जविप्रा द्वारा पूर्व में जारी पट्टा विलेख के परिपेक्ष में अब कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है ; अत पूर्ववत स्थिती यथावत रखी जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–3 (जोन–4 / मास्टर प्लान)

234 / 01.03.2015

विषय :– न्यू पिंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सिद्धार्थ नगर- डी के अनुमोदन बाबत।

समिति के समक्ष जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया की बीपीसी एलपी की बैठक संख्या 232 दिनांक 10.12.15 के निर्णय में जो धारा 25 एव 25 (3) का उल्लेख किया गया है उसकी जगह संशोधन करते हुए जविप्रा अधिनियम की धारा 38 से 43 को प्रतिस्थापित किया जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त <u>एजेण्डा संख्याः–4 (जोन–16)</u>

234 / 01.03.2015

विषय :–गोविन्दम टावर के कनकपुरा रेल्वे स्टेशन तक 36 मीटर सैक्टर सडक के एलाईनेन्ट संशोधन बाबत् (संलग्न मानचित्र में मार्क बिन्दु 1 से 2)

कालवाड रोड से श्री गणेशम विहार योजना तक आंशिक कर्व लगाया जाना उचित नहीं है। अतः आंशिक कर्व नहीं लगाने का निर्णय लेते हुए गोविन्दम टावर से कनकपुरा रेल्वे स्टेशन तक 36 मीटर सैक्टर सडक के एलाईमेन्ट को सीधा किया जाने बाबत आपत्ति/सुझाव मांगने एवं उक्त रोड के एलाइमेन्ट परिवर्तन करने पर श्री गणेशम विहार कें प्रभावित भूखण्डधारियों से आपत्ति/सुझाव मांगने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त <u>एजेण्डा संख्याः–5 (जोन–16)</u>

234 / 01.03.2015

विषय :–प्रकाश नगर योजना में अनुमोदित 30 मीटर सेक्टर सडक को 24 मीटर किये जाने बाबत्। (संलग्न मानचित्र में मार्क बिन्दु 2 से 3)

प्रकाश नगर योजना में अनुमोदित 30 मीटर सेक्टर सडक को 24 मीटर नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया चूंकि 30 मीटर सडक को यथावत् रखते हुए 16 योजनाओं का अनुमोदन किया जा चुका है।

पूर्व में बीपीसी (एलपी) की 224 वी बैठक दिनांक 19.01.2015 में लिये गये निर्णय अनुसार आनन्द विहार, गणपति नगर, प्रकाश नगर, रिद्वी सिद्वी V एवं गोपी नगर योजनाओं में सैक्टर रोड को मौके पर उपलब्ध सडक के दोनो और बराबर भूमि लेते हुए रखा जाता है अतः पूर्व में प्रकाश नगर योजना के भूखण्ड संख्या 30 व 34 के जारी पट्टो को विधिक प्रकिया अपनाते हुये संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त <u>एजेण्डा संख्याः–6 (जोन–16)</u>

234 / 01.03.2015

विषयः–हनुमान वाटिका–ए की 18 मीटर सैक्टर सडक की चौडाई 12 मीटर अथवा विलोपित कर पास की सोसायटी द्वारा छोडी गई 60 फिट सडक को सैक्टर सडक बनाने बाबत।

श्री श्याम विहार योजना में अनुमोदित 18 मीटर सैक्टर सडक को यथावत रखते हुए, हनुमान वाटिका–ए व हरिनगर योजना मे सैक्टर सडक को मौके पर उपलब्ध सडक के मध्य से दोनों और बराबर भूमि लेते हुये 12 मीटर करने एवं हनुमान वाटिका योजना के पास उपलब्ध 18 मीटर सडक को रूप नगर योजना में भी मौके पर उपलब्ध 12 मीटर सडक को दोनो ओर से बराबर–बराबर भूमि लेते हुए 18 मीटर किया जाकर सैक्टर रोड घोषित करने बाबत आपत्ति/सुझाव मांगने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त <u>एजेण्डा संख्याः–7 (जोन–16)</u>

234 / 01.03.2015

विषय :–कालवाड रोड से प्रताप सर्किल तक 24 मीटर सैक्टर सडक को 18 मीटर किये जाने बाबत (संलग्न मानचित्र में मार्क बिन्दु 6 से 7)

उक्त सडक पर गोविन्द नगर विस्तार योजना अनुमोदन कर एकीकृत मानचित्र अनुसार 24 मीटर सडक को यथावत रखते हुए भूखण्डों के पट्टे जारी किय जा चुके हैं उक्त अनुसार सडक की चौडाई में कोई परिवर्तन नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त <u>एजेण्डा संख्याः–8 (जोन–16)</u>

234 / 01.03.2015

विषय :–योजना स्कीम नं. 12–बी की 60 फीट सडक को जविप्रा की अनुमोदित योजना गोकुल नगर में 100 फुट सेक्टर सडक से जोडने बाबत्।

स्कीम नं. 12–बी की 60 फीट सडक को जविप्रा की अनुमोदित योजना गोकुल नगर की सुविधा क्षेत्र (**F-6**)में से होते हुए 30 मीटर सेक्टर रोड में जोडने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त <u>एजेण्डा संख्याः– 9(जोन–16)</u>

234 / 01.03.2015

विषय :–श्री करणी विहार योजना से राधाकृष्ण विहार योजना से होते हुए तिलक विहार–ए योजना व गंगा विहार योजना के मध्य तक अनुमोदित एकीकृत मानचित्र की 24 मीटर सडक को विलोपत कर तिलक विहार व तिलक विहार–ए के मध्य तिलक विहार योजना में अनुमोदित 18 मीटर सडक को 24 मीटर अनुमोदित किये जाने बाबत्।(संलग्न मानचित्र पर मार्क नारंगी रंग से पार्क बिन्दु 'A' से 'B' तथा बिन्दु 'C' से 'D' दर्शित अनुमोदित 24 मीटर सडक को विलोपित करने एवं पूर्व में अनुमोदित 18 मीटर (गुलाबी रंग से मार्क) को 24 मीटर करने बाबत)।

श्री करणी विहार योजना से राधाकृष्ण विहार योजना से होते हुए तिलक विहार–ए योजना व गंगा विहार योजना के मध्य तक अनुमोदित एकीकृत मानचित्र की 24 मीटर सडक को विलोपित कर तिलक विहार व तिलक विहार–ए के मध्य तिलक विहार योजना में अनुमोदित 18 मीटर सडक को 24 मीटर अनुमोदित किये जाने बाबत आपत्ति सुझाव मांगे जाने का निर्णय लिया गया। (संलग्न मानचित्र में बिन्दु संख्या 'A' से 'B', 'C' से 'D' को विलोपित करने एवं गुलाबी रंग से अंकित सडक को 18 मीटर से 24 मीटर संलग्न मानचित्र अनुसार)

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–10 (जोन–16)

234 / 01.03.2015

विषयः–प्रताप सर्किल से होते हुए रामनाथपुरी ए बी (24 मीटर सडक) से गोविन्द नगर II (30 मीटर सडक) को विलोपित करने बाबत्। (संलग्न मानचित्र में मार्ग बिन्दु 7,8 9)

प्रताप सर्किल से होते हुए रामनाथपुरी ए बी (24 मीटर सडक) से गोविन्द नगर **II** (30 मीटर सडक) को विलोपित नहीं करने का निर्णय लिया गया। चूंकि उक्त सभी योजनाएं 24 मीटर सडक यथावत रखते हुए अनुमोदित किये जाकर भूखण्डों के पट्टे जारी किये जा चुके हैं।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–11 (जोन–16)

234 / 01.03.2015

विषय :–कनकपुरा फाटक से तकिया की चौकी तक 80 फीट सेक्टर सडक को गोकुलपुरा स्कूल के खेल मैदान से सीधा मिलाये जाने बाबत्।

बिन्दु संख्या 12 से 13 मौके पर उपलब्ध सडक से 24 मीटर सडक करने बाबत शेष भूमि स्कूल की तरफ से लेते हुए 24 मीटर किये जाने व बिन्दु संख्या 14ए से 15ए तक अनुमोदित 30 मीटर सडक को विलोपित करते हुए 13, 14 व 15 तक मौके पर उपलब्ध सडक के मध्य से दोनो तरफ बराबर भूमि लेते हुए 80 फीट किये जाने एवं 30 मीटर चौडी सडक में मिलाये जाने बाबत आपत्ति / सुझाव मांगे जावें।(संलग्न मानचित्र अनुसार)

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–12 (जोन–16)

234 / 01.03.2015

विषय :–यादवों की ढाणी गोकुलपुरा रामनाथपुरी– बी गोविन्द नगर–द्वितीय, सूर्य नगर से होते हुए 120 फीट हाई टेंशन लाईन तक को जाने वाली 100 फीट रोड को 60 फीट किये जाने बाबत्। (संलग्न मानचित्र में मार्क बिन्दु 9से 19)

प्रश्नगत 30 मीटर सडक परं मॉ इन्द्र विहार–ए, शुभम विहार, गोविन्द नगर **II** ए, गोविन्द नगर– **II**, सूर्य नगर एवं सूर्य नगर विस्तार योजनाएं अनुमोदित कर भूखण्डों के पट्टे जारी किये जा चुके हैं इसलिए उक्त सडक पर कोई परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त <u>एजेण्डा संख्याः–13 (जोन–16)</u>

234/01.03.2015

विषयः–गोकुलपुरा तेजाजी मंदिर से होकर श्योकरण वाटिका श्री करणी उमा विहार ई ब्लॉक, मॉ इन्द्र विहार–बी रामदेव नगर से होते हुए कनकपुरा रेलवे स्टेशन से होते हुए कालवाड रोड को जाने वाली 120 फीट रोड में मिलाने वाली 30 मीटर सडक को विलोपित किये जाने बाबत ।
(संलग्न मानचित्र में मार्क बिन्दु 11, 16, 14 व 17)

प्रश्नगत सडक पर मॉ इन्द्र विहार–बी योजना का अनुमोदन कर 30 मीटर सडक के अनुसार भूखण्डों के पट्टे जारी किये जा चुके हैं। इसलिए उक्त 30 मीटर सेक्टर रोड में कोई परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त <u>एजेण्डा संख्याः–14 (जोन–16)</u>

234/01.03.2015

विषय :–कनकपुरा कन्टेनर डिपों के पास स्थित आदर्श नगर कॉलोनी मे से निकलने वाली 100 फीट रोड जो कन्टेनर डिपों से आदर्श नगर होते हुए 12–एच कॉलोनी में से निकलकर कनकपुरा फाटक से कालवाड रोड को जाने वाली 100 फीट रोड में मिल रही है, को निरस्त कर आदर्श नगर में ही मौके पर स्थित 60 फीट रोड को ही 80 फीट रोड किये जाने बाबत्।
(संलग्न मानचित्र में मार्क बिन्दु 15 से 18)

प्रश्नगत सडक रेलवे लाईन के साथ नियमानुसार रखे जाने वाली 30 मीटर सेक्टर सडक है, जिसको विलोपित किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रश्नगत सडक के एलाइन्मेंट में कोई परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त <u>एजेण्डा संख्याः–15 (जोन–16)</u>

234/01.03.2015

विषयः–तेजाजी मंदिर गोकुलपुरा से होकर श्री करणी उमा विहार–ई होते हुए श्री करणी उमा विहार विस्तार में स्थित 220 के.वी हाई टेशन लाईन तक मिलाने वाली 40 फीट रोड को 80 फीट किये जाने बाबत्।
(संलग्न मानचित्र में मार्क बिन्दु 11 से 13)

यदि श्री करणी विहार योजना से राधाकृष्ण विहार योजना(संलग्न मानचित्र में मार्क बिन्दु 'A' से 'B') में 24 मीटर सेक्टर सडक को(आपत्ति/सुझाव आमंत्रण के पश्चात)विलोपित किया जाता है तो तेजाजी मंदिर गोकुलपुरा से होकर श्री करणी उमा विहार–ई होते हुए श्री करणी उमा विहार विस्तार में स्थित 220 के.वी हाई टेशन लाईन तक मिलाने वाली मौके पर मौजूद सडक को दोनों तरफ से बराबर–बराबर भूमि लेते हुए 24 मीटर किये जाने बाबत आपत्ति सुझाव मांगे जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त <u>एजेण्डा संख्याः–16(जोन–17)</u>

234 / 01.03.2015

विषयः– **पृथ्वीराज नगर योजना में सिरसी रोड से बजरी मंडी रोड को जोडने वाली 12 मीटर चौडी रोड का विलोपित किए जाने के संबंध में (जोडने वाली 12 मीटर चौडी सेक्टर रोड को विलोपित किए जाने बाबत) ।**

एजेण्डा नोट के साथ प्रस्तुत मानचित्र में दर्शायी गयी प्रश्नगत 12 मीटर चौडी प्रस्तावित सडक को बिन्दु A से B तक विलोपित किये जाने तथा मौके पर बसी हुई योजनाओं की आन्तरिक सडको को मानचित्र में दर्शाये गये बिन्दु E से F, G से H तथा I से J पर आपस में जोडे जाने के सम्बन्ध में विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाकर आपत्ति सुझाव प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त <u>एजेण्डा संख्याः–17(जोन–17)</u>

234 / 01.03.2015

विषय :– अजमेर रोड से एकता नगर धाउवास को जाने वाली 80 फीट चौडी सैक्टर रोड को 60 फीट चौडी किये जाने के सम्बन्ध में।

एजेण्डा नोट के साथ प्रस्तुत पार्ट एकीकृत मानचित्र में दर्शायी गयी प्रश्नगत अनुमोदित 80 फीट चौडी सेक्टर रोड के बिन्दु C से D भाग को 60 फीट चौडी रखे जाने तथा बिन्दु संख्या E से D तथा A से C तक पूर्व की भांति 80 फीट चौडी रखे जाने के सम्बन्ध में विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाकर आपत्ति सुझाव प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

11/3/16

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)

कमांक :–जविप्रा / सस / बीपीसी – एल पी / 2015 / डी–35 दिनांक : 11/03/2016

प्रतिलिपी सूचनार्थः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व / पश्चिम / पीआरएन / एल.पी.सी / भूमि) जविप्रा, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन ।
7. विशेषाधिकारी जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
9. उप रजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।

११/३/२०१६

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)